विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग,

भारत सरकार

तथा

विज्ञान एवं आई.सी.टी. मंत्रालय

कोरिया गणराज्य

कोरिया-भारत संयुक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग कार्यक्रम 2023

के लिए

संयुक्त परियोजना प्रस्ताव का आह्वान करते हैं

<u>प्रस्ताव 31 मई 2023 को 18:00 अपराह्न (स्थानीय समय) तक प्रस्तुत किए जाएं।</u>

1. प्रस्तावना

कोरिया-भारत संयुक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग कार्यक्रम दोनों देशों के वैज्ञानिकों व शोधार्थियों के मध्य संयुक्त अनुसंधान व विकास परियोजना और तकनीकी मिशन के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग को सुकर बनाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.); विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार तथा कोरिया गणराज्य का विज्ञान मंत्रालय (एम.एस.आई.टी.) भारत एवं कोरिया गणराज्य (दक्षिण कोरिया) में कार्यक्रम के क्रियान्वयन में प्रमुख रूप से विनिर्दिष्ट अभिकरण हैं। द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रम हेतु यह प्रस्ताव आह्वान प्रत्येक वैध आवेदक को विस्तृत सूचना एवं प्रक्रियाएं प्रदान करने के लिए है।

2. सहयोग के संभावित क्षेत्र

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.), भारत सरकार तथा कोरिया गणराज्य का विज्ञान व आई.सी.टी. मंत्रालय (एम.एस.आई.टी.) भारतीय व कोरियाई वैज्ञानिकों/शोधार्थियों को निम्नलिखित क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करते हैं।

- **ग्रीन मोबीलिटी**
- **रोबोटिक्स एवं विनिर्माण**
- **ग्रीन हाइड्रोजन सहित अक्षय ऊर्जा**
- **सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी**
- **सेमीकण्डक्टर एवं डिसप्ले पर विशेष फोकस के साथ पदार्थ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी**
- **क्वांटम प्रौद्योगिकी**

इस आह्वान का अभिप्राय प्रत्येक क्षेत्र के लिए 2 परियोजनाओं के साथ 12 परियोजनाओं का निधीयन है।

3. पात्रता

यह कार्यक्रम भारत या कोरिया गणराज्य में अवस्थित ऐसे शोधार्थियों, विज्ञानियों और संस्थानों के लिए अभिगम्य है, जो उपर्युक्त सूचीबद्ध एक या एकाधिक विषय क्षेत्र में उन्नत अनुसंधान में विनियोजित हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा कोरिया की राष्ट्रीय अनुसंधान संस्था (एन.आर.एफ., एम.एस.आई.टी. का मान्यता प्राप्त संगठन) क्रमशः सम्मत मानदण्ड के आधार पर आवेदनों की समानांतर समीक्षा संचालित करेंगे।

परियोजना प्रस्ताव में भारत से एक प्रधान अन्वेषक (पी.आई.) तथा सह-प्रधान अन्वेषक (सह-पी.आई.) का नाम शामिल होगा। पी.आई. व सह-पी.आई. की जिम्मेदारी निरंतर निधीयन सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक

वैज्ञानिक व वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत करने की होगी; प्रत्येक परियोजना का निधीयन परियोजनागत कार्यकलाप या संपूर्ण परियोजनागत कार्यकलाप से संबंधित समुचित रिपोर्ट की प्रस्तुति की विफलता को छोड़कर तीन वर्ष तक होगा। पी.आई. तथा सह-पी.आई. अपनी परियोजनाओं के तकनीकी व प्रशासनिक समन्वयन के प्रति भी उत्तरदायी होंगे। पी.आई. या अन्य अन्वेषक को सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों, अकादमिक संस्थानों, राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं या संस्थानों द्वारा नियमित रूप से नियोजित वैज्ञानिक, शोधार्थी या संकाय सदस्य होना चाहिए। किसी भी पी.आई. को सेवानिवृत्त नहीं होना चाहिए, या परियोजना की प्रस्तावित अवधि के दौरान सेवानिवृत्ति की योजना नहीं बनानी चाहिए। **कृपया नोट करें कि डी.एस.टी. के अंतरराष्ट्रीय प्रभाग द्वारा निधीयित दो परियोजनाओं को पहले से क्रियान्वित कर रहे आवेदक इस आह्वान के निमित्त परियोजना प्रस्तुत करने के लिए भारतीय पक्षकार की ओर से अर्ह नहीं हैं।**

4. संयुक्त परियोजना के लिए उपलब्ध सहायता का प्रकार

प्रत्येक चयनित परियोजना को **तीन वर्षों** की समयावधि के लिए मूलतः निधीयित किया जाएगा। हालांकि, दोनों पक्षों की परियोजनाओं को निधीयन जारी रखने के लिए प्रत्येक देश में वार्षिक मूल्यांकन से गुजरना होगा। भारतीय पक्ष में डी.एस.टी. व्यय का वहन करेगा जबकि कोरियाई पक्ष में एम.एस.आई.टी. व्यय की पूर्ति करेगी।

कोरियाई पक्ष में, प्रत्येक परियोजना के लिए एम.एस.आई.टी. का अनंतिम निधीयन लगभग 40,000,000 वॉन प्रति वर्ष होगा।

परियोजना के उद्देश्य की सुकरता के लिए, जन शक्ति लागत (जे.आर.एफ./एस.आर.एफ./परियोजना सहचारी/अनुसंधान सहचारी), उपभोज्य वस्तु, अनुसंधान व्यय, आकस्मिक व्यय, भारतीय व कोरियाई शोधार्थियों का प्रतिस्थानी देश में परियोजना से संबंधित परिदर्शन सहायित किया जाएगा। यह निधीयन परियोजना के संबंध में निम्नलिखित व्यय प्रदान करेगा:

- अनुसंधान व्यय सहायता: परियोजना दल द्वारा उनके अपने देश में किया गया व्यय संबंधित देश द्वारा वहन किया जाएगा, अर्थात डी.एस.टी. परियोजना के भारतीय पक्ष में व्यय का वहन करेगा जबकि एम.एस.आई.टी. कोरियाई पक्ष के व्यय का वहन करेगा। सहभागी भारतीय संस्थान की जिम्मेदारी उपकरणों से संबंधित व्यय की होगी।
- आदान-प्रदान अभ्यागमन सहायता घटक: प्रेषक पक्ष मेजबान देश के प्रासंगिक प्रवेश शहर तक आने-जाने का इकोनॉमी श्रेणी का वायुयान भाड़ा और चिकित्सा बीमा प्रदान करेगा। स्वागतकर्ता पक्ष आवास तथा ठहराव व्यय अर्थात विमानपत्तन से और तक पिक-अप सहित परिवहन, भोजन आदि उपलब्ध कराएगा।

  सभी प्रकार के व्यय पर दोनों पक्षों को उपलब्ध बजट में सहमत होना होगा। चूंकि दोनों पक्षों के बजट विनियम पृथक हैं, अत: उनके संबंधित नियमों के अंतर्गत अंतर परामर्श अवश्य किए जाएंगे।
- संस्थागत उपरिव्यय: भारतीय तथा कोरियाई सरकारों के विशिष्ट अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम विनियम के अनुसार संस्थागत उपरिव्यय का निर्धारण किया जाएगा।
  कोरिया के मामले में, परियोजना का निष्पादन कोरियाई विनियम के अनुसार किया जाएगा।

5. प्रस्ताव प्रस्तुति

कोरियाई तथा भारतीय आवेदक डी.एस.टी. व एम.एस.आई.टी/एन.आर.एफ. को सामान्य आवेदन प्रस्तुत करेंगे। सामान्य आवेदन अंग्रेजी भाषा में होगा।

भारतीय आवेदक निधीयन का प्रस्ताव संरूप वेबसाइट www.dst.gov.in / https://onlinedst.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं तथा पूर्ण आवदेन प्रपत्र एवं सभी प्रासंगिक सूचना को डी.एस.टी. के ई-पी.एम.एस. पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। प्रस्ताव डी.एस.टी. को दिनांक 31 मई 2023 तक https://onlinedst.gov.in में प्रदत्त ई-आवेदन के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे। भारतीय आवेदकों से अनुरोध है कि वे कृपया डी.एस.टी. को निम्नलिखित पते पर दिनांक 07 जून 2023 तक **एक मुद्रित प्रति** भी भेजें:

राजीव कुमार
वैज्ञानिक
अंतरराष्ट्रीय सहयोग
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
न्यू मेहरौली रोड
नई दिल्ली - 110 016

यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि समान नाम वाले आवेदन उनके कोरियाई समकक्ष वैज्ञानिक द्वारा नियत तिथि (भारतीय पक्ष) तक एनआरएफ में प्रस्तुत किए गए हैं।

कोरियाई आवेदकों के लिए, कोरियाई भाषा में लिखित पृथक आवेदन पत्र की भी अपेक्षा है। कोरियाई भाषा के प्रस्ताव (**कोरियाई पक्ष)** को पूरा करने के निर्देशों के लिए कृपया एमएसआईटी / एनआरएफ वेबसाइट पर पोस्ट किए गए 'कॉल फॉर प्रपोजल' को देखें। कोरियाई भाषा के तदनुरूप आवेदक को कोरिया की राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन प्रणाली (https://iris.go.kr) के माध्यम से अभिन्न शोध योजना (अंग्रेजी और कोरियाई संस्करण) प्रस्तुत करनी होगी।

परियोजना प्रस्ताव 31 मई, 2023 को स्थानीय समय (प्रत्येक देश से संबंधित) शाम 6:00 बजे तक डीएसटी और एमएसआईटी /एनआरएफ दोनों को प्रस्तुत किए जाने चाहिए। केवल एक संगठन (डीएसटी या एमएसआईटी / एनआरएफ) को प्रस्तुत प्रस्तावों पर **विचार नहीं किया जाएगा।**

6. आवेदनों का मूल्यांकन

अधिसूचित समय सीमा तक प्राप्त सभी आवेदनों को समकक्ष व्यक्ति की समीक्षा प्रक्रिया से गुजरना होगा और फिर विचार और रैंकिंग के लिए स्वतंत्र सलाहकार पैनल को भेजा जाएगा। आवेदनों को वित्त पोषण के योग्य होने के लिए सकारात्मक रेटिंग प्राप्त करनी होगी । डीएसटी और एनआरएफ द्वारा सफल आवेदनों का संयुक्त चयन होने पर संबंधित नोडल एजेंसियों द्वारा चर्चा की जाएगी और रैंकिंग द्वारा सूचित किया जाएगा। भारत-आरओ के संयुक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति द्वारा किए गए निर्णय अंतिम होंगे। निम्नलिखित मानदंडों को प्रस्तावों के चयन के लिए ध्यान में रखा जाएगा:

- सहयोगी परियोजना की वैज्ञानिक योग्यता
- परियोजना की वैज्ञानिक उत्कृष्टता
- सिनर्जी / पूरकता पहलू
- ज्ञान और विशेषज्ञता के हस्तांतरण के माध्यम से अनुसंधान की पारस्परिक प्रगति
- परियोजना को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए टीमों की क्षमता

- प्रत्याशित अनुसंधान परिणाम

कोरिया और भारत के बीच स्वतंत्र घरेलू नियमों के अनुसार, मूल्यांकन मानदंड में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है।

7. समय सरिणी

2023 संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम के लिए समय सरिणी इस प्रकार है :

- **17 अप्रैल से 31 मई 2023 तक, 18:00 (स्थानीय समय) : कॉल की घोषणा और प्रस्तुति**
- **जून 2023 तक: सबमिशन सूची का आदान-प्रदान**
- **सितंबर 2023 के अंत तक: मूल्यांकन**
- **अक्टूबर 2023 की शुरुआत तक: चयन के लिए चर्चा/अंतिम निर्णय ।**
- **अक्टूबर 2023 के अंत तक: प्रत्येक पक्ष में अनुबंध / वित्तीय सहायता**
- **1 नवंबर 2023: अनुसंधान परियोजनाओं का प्रारंभण**

8. संपर्क सूचना

डीएसटी (भारत)	**एमएसआईटी/एनआरएफ(कोरिया)**
राजीव कुमार वैज्ञानिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग न्यू महरौली रोड नई दिल्ली - 110 016 ई-मेल: rajivarc@nic.in	श्री ताइसुंग ली शोधार्थी अमेरिकी और एशियाई मामले अंतर्राष्ट्रीय मामला के निदेशालय कोरिया का राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ई-मेल: taesunglee@nrf.re.kr